आज़ादी का अमृत महोत्सव

ईसीजीसी ECGC

सूचना

एतद्द्वारा **सूचना** दी जाती है कि निम्नलिखित उद्देश्य से ईसीजीसी लिमिटेड की 64वीं वार्षिक साधारण बैठक कमरा नंबर 427, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली - 110011 में सोमवार, दिनांक 05 सितंबर, 2022 को 18:00 बजे आयोजित की जाएगी :

सामान्य विषय :

मद संख्या 1 – वित्तीय विवरणों को अपनाना

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी तुलन पत्र, उस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व खाता और लाभ और हानि खाता एवं उस पर निदेशकों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करना और उन्हें अपनाना।

मद संख्या 2 – लाभांश की घोषणा

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करने के लिए।

मद संख्या . 3 – सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों, क्षेत्रीय कार्यालय लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने को अनुमोदन प्रदान करना/ इसके लिए निदेशक मण्डल को अधिकार प्रत्यायोजित करना ।

विशेष विषय :

मद संख्या 4 – संस्था के अंतर्नियम में अनुच्छेद 4 (1) को शामिल करना

विचार करने एवं उचित पाए जाने पर, निम्नलिखित संकल्प पारित करने हेतु :

ईसीजीसी लि. मुंबई MUMBAI ECGC Ltd.

संकल्प किया जाता है कि भारत सरकार के दिनांक 01 जुलाई, 2022 के पत्र सं. के-11015/11/2022-ई एंड एमडीए-डीओसी से प्राप्त अनुमोदन एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 61 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अंतर्गत कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 4 के तहत नीचे दिए गए अनुच्छेद 4 (1) को शामिल करने को अनुमोदित किया जाता है :

> "अनुच्छेद 4(1) - कंपनी की प्राधिकृत पूंजी कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के पूँजी खंड के अनुसार होगी, जिसमें पूंजी को बढ़ाने या घटाने और/या शेयरों के नामांकन मूल्य जो कि इसका हिस्सा होगा एवं पूंजी में शेयरों को कुछ समय के लिए कई वर्गों में विभाजित करने एवं ऐसे क्रमशः अधिमान्य, आस्थगित, योग्य या विशेष अधिकार, सुविधा या मतदान के अधिकार के साथ या उसके बिना निर्धारित हों के अधिकार के या जैसा कि संस्था के अंतर्नियम के अनुसार निर्धारित हो या कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा सामान्य बैठक में निर्णय लिया गया हो, जैसा भी लागू हो,जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हों, और ऐसे किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार या शर्तों को अलग-अलग, संशोधित, समामेलित या निरस्त करने और समेकित करने के लिए निर्णय लिया जा सकता है या शेयरों को उप-विभाजित करें और उच्च या निम्न मूल्यवर्ग के शेयर जारी किए जा सकते हैं, शामिल हैं ।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी के कंपनी सचिव को उपरोक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक और समीचीन समझे जाने वाले सभी कार्यों और कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

मद संख्या 5 – कंपनी की प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि

विचार करने एवं उचित पाए जाने पर, निम्नलिखित संकल्प पारित करने हेतु :

"**संकल्प किया जाता है कि** भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2022 के पत्र सं. के-11015/11/2022-ई एंड एमडीए-डीओसी से प्रदान किए गए अनुमोदन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित धारा 61 के प्रावधान, यदि कोई हो, के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत पूंजी को 5,000 करोड़ रुपये (पांच हजार

ईसीजीसी लि. मुंबई MUMBAI ECGC Ltd.

करोड़ रुपये) से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये (दस हजार करोड़ रुपये) कर 100/- (एक सौ रु) प्रत्येक के 100,00,00,000 (एक सौ करोड़) शेयर में विभाजित किया जाता है।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी के कंपनी सचिव को उपरोक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक और समीचीन समझे जाने वाले सभी कार्यों और कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

मद संख्या 6 - संस्था के बहिर्नियम की मद संख्या V में संशोधन

विचार करने एवं उचित पाए जाने पर, निम्नलिखित संकल्प पारित करने हेतु :

संकल्प किया जाता है कि संस्था के बहिर्नियम की मद संख्या V को एतदद्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

> "कंपनी की रु. 10,000 करोड़ (रु. दस हज़ार करोड़) की पूंजी को 100 (रु. एक सौ) प्रत्येक के 100,00,00,000 (रु. एक सौ करोड़) की इक्विटी शेयर में विभाजित किया गया है।"

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी के कंपनी सचिव को उपरोक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक और समीचीन समझे जाने वाले सभी कार्यों और कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

मद संख्या 7 – संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 4 में संशोधन

विचार करने एवं उचित पाए जाने पर, निम्नलिखित संकल्प पारित करने हेतु :

"**संकल्प किया जाता है कि** भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2022 के पत्र सं. के-11015/11/2022-ई एंड एमडीए-डीओसी से प्रदान किए गए अनुमोदन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के साथ कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 4 को निम्न अनुसार संशोधित किया जाता है :

ईसीजीसी लि. मुंबई MUMBAI ECGC Ltd.

ईसीजीसी लिमिटेड ECGC Limited

"कंपनी की रु. 10,000 करोड़ (रु. दस हज़ार करोड़) की पूंजी को 100 (रु. एक सौ) प्रत्येक के 100,00,00,000 (रु. एक सौ करोड़) इक्विटी शेयर में विभाजित किया गया है।"

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी के कंपनी सचिव को उपरोक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए ऐसे सभी आवश्यक दस्तावेजों, उपकरणों और लेखों को निष्पादन व आवश्यक और समीचीन समझे जाने वाले सभी कार्यों और कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मण्डल के आदेश से
कृते ईसीजीसी लिमिटेड

स्मिता
30/08/2022

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव

दिनांक : 30 अगस्त, 2022
स्थान : मुंबई
पंजीकृत कार्यालय :
एक्सप्रेस टॉवर्स, 10वीं मंजिल,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई – 400021.

टिप्पणियाँ:

1. उपर्युक्त मद संख्या 4 से 7 के तहत उल्लिखित विशेष विषय के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।

2. उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार सदस्य स्वयं उपस्थित न होने पर एवं मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने के हकदार हैं एवं प्रॉक्सी को सदस्य होने

ईसीजीसी लि. मुंबई MUMBAI ECGC Ltd.

की आवश्यकता नहीं है। प्रॉक्सी को वैध मान्य होने के लिए बैठक से कम से कम 48 घंटे पहले पंजीकृत कार्यालय में कंपनी द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए।

बैठक स्थान का रूट मैप

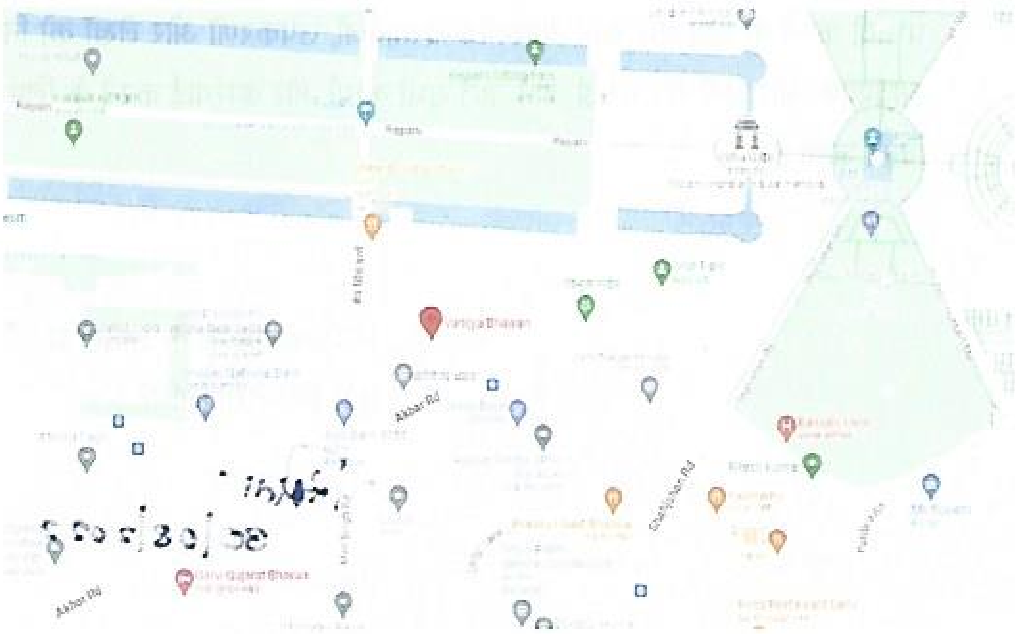

सौजन्य से : गूगल मैप्स

ईसीजीसी लि. मुंबई MUMBAI ECGC Ltd.

64 वीं वार्षिक सामान्य बैठक नोटिस का भाग बनने वाला

सम्बद्ध व्याख्यात्मक विवरण

कम्पनी अधिनियम,2013 की धारा 102 के अंतर्गत वांछित निम्नलिखित व्याख्यात्मक विवरण, इसके साथ सम्बद्ध दिनांक 30 अगस्त, 2022 के नोटिस के मद संख्या 4 से 7 के अंतर्गत विशेष विषाय से सम्बंधित तथ्यों को प्रकट करता है।

1. **विचार विषय:**

1.1 कम्पनी के बहिर्नियमों(एमओए) तथा संस्था के अंतर्नियमों(एओए) में प्रस्तावित संशोधनों पर कम्पनी के सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करना।

1.2 यह व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ सम्बद्ध एवं इसका भाग बनने वाले 64वीं साधारण बैठक नोटिस के अंतर्गत विशेष व्यापार से सम्बंधित निम्नलिखित तथ्यों को प्रकट करता है-

- **मद सं. 4:** संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 4 में सहित उप-अनुच्छेद 4(1) में संशोधन
- **मद सं. 5:** कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि
- **मद सं. 6:** संस्था के बहिर्नियमों के अनुच्छेद V में संशोधन
- **मद सं 7:** संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 4 में संशोधन

2. **पृष्ठभूमि:**

2.1 दिनांक 08 जुलाई, 2013 को सम्पन्न कम्पनी की 55वीं साधारण वार्षिक बैठक में प्राप्त अनुमोदन के अनुसार कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी को 1000 करोड़ से बढाकर 5000 करोड़ रु कर दिया गया था।

2.2 सरकार नें अक्टूबर,2018 में कपम्नी को, इसकी सभी परियोजनाओं के थर्ड पार्टी मूल्यांकन करने एवं 2024 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को समर्थन प्रदान करने के लिये इसकी हामीदार क्षमता में समुचित वृद्धि हेतु पूंजीगत निवेश की

ई सी जी सी लि. मुंबई MUMBAI ECGC Ltd.

आवश्यकता के मूल्यांकन हेतु निर्देश दिये थे। तदनुसार, क्रिसिल द्वारा मूल्यांकन किया गया एवं दि. 08 फरवरी, 2021 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार व्यापार का मूल्य 5.62 लाख करोड़ (वित्त वर्ष 2020) से 23.61 लाख करोड़(वित्त वर्ष 2026) होने की सम्भावना है तथा जोखिम से पूंजी अनुपात का समुचित स्तर बनाए रखने के लिये तथा निर्यात की बढी हुई मात्रा को रक्षा प्रदान करने हेतु 10,890 करोड़ रु. के पूंजीगत निवेश पर बल दिया। इसके उपरांत वाणिज्य विभाग नें दि. 09 मार्च 2022 को जारी अपने पत्र सं K-11015/2/2021-E&MDA-DoC द्वारा आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति(सीसीईए) के प्राधिकृत पूंजी को वर्तमान के 5000 करोड़ रु के स्तर से बढ़ाकर 10000 करोड़ रु करने के अनुमोदन के विषय में सूचित किया। प्राप्त अनुमोदन के आधार पर निदेशक मंडल द्वारा दि. 23 मार्च 2022 को सम्पन्न बैठक में कंपनी की प्राधिकृत पूंजी को 5000 करोड़ रु के स्तर से बढ़ाकर 10000 करोड़ रु करने को सदस्यों द्वारा अनुमोदित किये जाने की पूर्वशर्त पर अनुमोदन प्रदान किया ।

2.3 अधिनियम के अनुच्छेदं 61 के अनुपालन में, संस्था के अंतर्नियमों में कम्पनी को इसकी प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि करने हेतु प्रावधान होना वांछित है । प्राधिकृत पूंजी को वर्तमान के 5000 करोड़ रु के स्तर से बढ़ाकर 10000 करोड़ रु करने हेतु कम्पनी द्वारा अपनी प्राधिकृत पूंजी को बढाने के लिये, संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत उप-अनुच्छेद 4(1) को शामिल किये जाने का प्रस्ताव सदस्यों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

3. <u>प्रस्ताव :</u>

3.1 निदेशक मंडल द्वारा 23 मार्च, 2022 और 25 मई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में की गई अनुशंसा के अनुसार विशेष कार्य की निम्नलिखित मदों के लिए सदस्यों की अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है:

क्रसं	विवरण	वर्तमान मद/अनुच्छेद	प्रस्तावित मद/अनुच्छेद
मद संख्या 4	ए ओ ए में उप-अनुच्छेद 4(1) को जोड़ना	-	अनुच्छेद 4(1) - कंपनी की प्राधिकृत पूंजी कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के पूँजी खंड के अनुसार होगी, जिसमें

ईसीजीसी लि. मुंबई MUMBAI ECGC Ltd.

			पूंजी को बढ़ाने या घटाने और/या शेयरों के नामांकन मूल्य जो कि इसका हिस्सा होगा एवं पूंजी में शेयरों को कुछ समय के लिए कई वर्गों में विभाजित करने एवं ऐसे क्रमशः अधिमान्य, आस्थगित, योग्य या विशेष अधिकार, सुविधा या मतदान के अधिकार के साथ या उसके बिना निर्धारित हों के अधिकार के या जैसा कि संस्था के अंतर्नियम के अनुसार निर्धारित हो या कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा सामान्य बैठक में निर्णय लिया गया हो, जैसा भी लागू हो,जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हों, और ऐसे किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार या शर्तों को अलग-अलग, संशोधित, समामेलित या निरस्त करने और समेकित करने के लिए निर्णय लिया जा सकता है या शेयरों को उप-विभाजित करें और उच्च या निम्न मूल्यवर्ग के शेयर जारी किए जा सकते हैं ।
मद संख्या 5	प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं	लागू नहीं
मद संख्या 6	संस्था के बहिर्नियम की मद संख्या V में	"कंपनी की रु. 5,000 करोड़ (रु. दस हज़ार	"कंपनी की रु. 10,000 करोड़ (रु. दस हज़ार करोड़) की पूंजी को 100 (रु. एक सौ) प्रत्येक की 100,00,00,000

ईसीजीसी लि. मुंबई MUMBAI ECGC Ltd.

	संशोधन	करोड़) की पूंजी को 100 (रु. एक सौ) प्रत्येक की 50,00,00,000 (रु. एक सौ करोड़) की इक्विटी शेयर में विभाजित किया गया है। "	(रु. एक सौ करोड़) की इक्विटी शेयर में विभाजित किया गया है। "
मद संख्या 7	संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 4 में संशोधन	"कंपनी की रु. 5,000 करोड़ (रु. दस हज़ार करोड़) की पूंजी को 100 (रु. एक सौ) प्रत्येक की 50,00,00,000 (रु. एक सौ करोड़) की इक्विटी शेयर में विभाजित किया गया है। "	"कंपनी की रु. 10,000 करोड़ (रु. दस हज़ार करोड़) की पूंजी को 100 (रु. एक सौ) प्रत्येक की 100,00,00,000 (रु. एक सौ करोड़) की इक्विटी शेयर में विभाजित किया गया है। "

4. अनुशंसा

4.1 वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2022 के पत्र सं. के-11015/11/2022-ई एंड एमडीए-डीओसी के माध्यम से सूचित किया गया था कि कंपनी के एम ओ ए एवं ए ओ ए के संबन्धित अनुच्छेदों में आवश्यक संशोधन कर प्राधिकृत पूंजी बढ़ाकर 10,000 करोड़ रु करने को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

ईसीजीसी लि. मुंबई MUMBAI ECGC Ltd.

4.2 अधिनियम की धारा 102(1) के अनुसरण में यह प्रावधान किया गया है कि निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) और निदेशकों तथा केएमपी के संबंधियों में से किसी का भी सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत विशेष विषय की प्रस्तावित मदों में वित्तीय या अन्यथा कोई हित नहीं है। कंपनी के सदस्यों से अनुरोध है कि वे बोर्ड की सिफारिश के अनुसार इस 64वें वार्षिक साधारण बैठक नोटिस के विशेष विषय मद संख्या 4, 5, 6 और 7 में निर्धारित विशेष प्रस्तावों को अनुमोदित करें।

निदेशक मण्डल के आदेश से
कृते ईसीजीसी लिमिटेड

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव

दिनांक : 30 अगस्त, 2022
स्थान : मुंबई
पंजीकृत कार्यालय :
एक्सप्रेस टॉवर्स, 10वीं मंजिल,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई – 400021.